बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र सं०-जन संपर्क- 17/2016-   /वि०स० ।

प्रेषक,

सुनील कुमार
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

विज्ञापन व्यवस्थापक, **हिन्दुस्तान,** हिन्दी दैनिक, बिहार, पटना ।
विज्ञापन व्यवस्थापक, **दि टाईम्स ऑफ इंडिया,** अंग्रेजी दैनिक, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक-   जून, 2016 ई० ।

विषय:- बिहार विधान सभा सचिवालय से संबंधित निविदा आमंत्रण सूचना का विज्ञापन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विज्ञापन सामग्री संलग्न करते हुए निदेशानुसार सूचित करना है कि **इसे आप अपने बिहार राज्य से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र के साथ-साथ अपने समाचार पत्र के दिल्ली संस्करण में भी दिनांक 05.06.16** के अंक में निम्नलिखित शर्त्तो के अधीन प्रकाशित करने की कृपा करें :-

(1) इस विज्ञापन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित डी०ए०वी०पी० दर से भुगतान होगा,
(2) विज्ञापन 12 से०मी० X 12 से०मी० आकार में होना चाहिए,
(3) विज्ञापन प्रकाशन के सात दिनों के अंदर विज्ञापन अंक के साथ विपत्र की तीन प्रतियाँ प्रथम प्रति पर रसीदी टिकट साटकर सभा सचिवालय को निश्चित रूप से भेज दें,
(4) विज्ञापन प्रकाशन के तत्काल बाद विज्ञापन अंक की प्रति सभा सचिवालय को भेज दें,
(5) अपने समाचार पत्र के लिए निर्धारित डी०ए०वी०पी० दर से संबंधित पत्र की प्रति विपत्र में अवश्य संलग्न की जाय ।
(6) अन्य भाषा में विज्ञापन प्रकाशन के लिए अधिक मूल्य देय नहीं होगा ।

विश्वासभाजन,

ह/०

(सुनील कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-जनसंपर्क- 17/2016- 2334 / वि०स०, पटना, दिनांक:- 02 जून, 2016 ई० ।

प्रति :- अवर सचिव, श्रव्य एवं दृश्य इकाई, बिहार विधान सभा को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि संलग्न विज्ञापन को दिनांक 05.06.16 को बिहार विधान सभा के वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाय ।

02.06.16

(सुनील कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान सभा, पटना ।

46

बिहार विधान सभा सचिवालय

षोडश बिहार विधान सभा के तृतीय सत्र से मार्च, 2017 तक के दौरान सदन की संपूर्ण कार्यवाहियों की रिकॉर्डिंग एवं लाईव प्रसारण आदि से संबंधित निविदा आमंत्रण

षोडश बिहार विधान सभा के तृतीय सत्र से 31 मार्च, 2017 तक अनुमानित चालीस दिनों के लिए चलने वाले सत्र के दौरान सदन की संपूर्ण कार्यवाहियों की रिकॉर्डिंग एवं लाईव प्रसारण डीएसआर 450 कैमरों या उससे उच्च कोटि के चार कैमरों द्वारा ऑन लाईन रिकॉर्डिंग एवं लाईव प्रसारण करने तथा दूरदर्शन एवं विभिन्न प्राईवेट चैनलों पर लाईव प्रसारण, वेबसाईट एवं मोबाईल पर वेबकास्टिंग हेतु लिंक के साथ सभा सचिवालय के सभी टी०वी० पर अनवरत लाईव प्रसारण करने एवं अन्य अनुषांगी कार्यों को पूरा करने के लिए इच्छुक एवं प्रतिष्ठित संस्थानों / फर्मों / फिल्म निर्माताओं से द्विलिफाफा प्रणाली के तहत अलग-अलग सीलबंद लिफाफा में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा, जो एक अन्य सीलबंद लिफाफा में बंद हो, सचिव, बिहार विधान सभा के पदनाम से दिनांक 21 जून, 2016 को 3:00 बजे अप० तक यथानिर्धारित शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती हैं। निविदा तथा इसके लिए निर्धारित शर्तें एवं कार्य का विवरण बिहार विधान सभा के वेबसाईट www.vidhansabha.bih.nic.in पर द्रष्टव्य है, जिसके अनुरूप निविदा प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस कार्य की अनुमानित प्राक्कलित राशि लगभग चौदह लाख रूपये है। सभी प्राप्त निविदायें दिनांक 22 जून, 2016 को 3:00 बजे अप० में सचिव, बिहार विधान सभा के कार्यालय कक्ष में खोली जायेंगी, जिसमें निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेंगे।

निर्धारित शर्तें एवं कार्य का विवरण:-

1. संबंधित संस्थानों / प्रतिष्ठानों / फिल्म निर्माताओं को, जिनका टर्न ओवर कम से कम दस लाख रूपये हो, को इससे संबंधित तीन साल का इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है। तकनीकी निविदा के साथ फर्म का निबंधन, अद्यतन आयकर, बिक्री कर एवं सेवा कर का प्रमाण पत्र के साथ-साथ कार्यानुभव का प्रमाण संलग्न करना होगा। संबंधित संस्थानों / प्रतिष्ठानों / फिल्म निर्माताओं को दूरदर्शन या किसी प्राईवेट चैनल हेतु प्रोग्राम एवं सीरियल निर्माण का अनुभव आवश्यक है, जिससे संबंधित कागजात तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
2. लोक सभा / राज्य सभा / देश की किसी विधान सभा या परिषद् का मल्टी कैमरा सेट-अप द्वारा ऑनलाईन रिकॉर्डिंग एवं लाईव प्रसारण का कम से कम तीन साल का अनुभव रखने वाले संस्थानों / प्रतिष्ठानों / फिल्म निर्माताओं को प्राथमिकता दी जा सकती है।
3. सभी निविदादाताओं को तकनीकी निविदा के साथ अग्रधन के रूप में अंके 10,000/रू० (दस हजार रू०) का बैंक ड्राफ्ट जो सचिव, बिहार विधान सभा के नाम से देय तथा एस०बी०आई०, बिहार विधानमंडल शाखा में भुगतेय हो, संलग्न करना होगा, जिसे निविदा निष्पादित होने के बाद निविदादाताओं को वापस कर दिया जायेगा।
4. तकनीकी तथा वित्तीय निविदा अलग-अलग सीलबंद लिफाफा में रख कर प्रत्येक लिफाफा के उपर मोटे अक्षरों में 'तकनीकी निविदा' एवं 'वित्तीय निविदा' अंकित कर इसे दूसरे बड़े लिफाफा में सीलबंद कर देना होगा। सभी लिफाफों में निविदादाता फर्म का नाम, पता, दूरभाष, मोबाईल एवं फैक्स संख्या अंकित होना चाहिए।

5. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा टंकित एवं इसके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर एवं मुहर होना आवश्यक है ।

6. निविदादाता फर्म को भारत सरकार, किसी राज्य सरकार अथवा किसी लोक उपक्रम द्वारा विगत तीन वर्षों में ब्लैकलिस्टेड नहीं होने का स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

7. निविदादाता फर्म को इस बात का स्वअभिप्रमाणित प्रमाण देना होगा कि इनके टीम के किसी सदस्य के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गयी है ।

8. अंतिम रूप से चयनित निविदादाता के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उनके द्वारा निविदा के साथ जमा की गयी अग्रधन की राशि को जब्त कर लिया जायेगा ।

9. चयनित निविदादाता फर्म को इस कार्य के लिए किसी प्रकार के अग्रिम का भुगतान नहीं किया जायेगा ।

10. वित्तीय निविदा में अंकित दर सभी करों के साथ उल्लिखित होना चाहिए ।

11. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदायें खोली जायेंगी तथा उन्हें ही वित्तीय निविदा खोलने की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना दी जायेगी ।

12. सफल निविदादाताओं से बेहतर कार्य, उच्च गुणवत्ता एवं दर में कमी तथा शूटेड कैसेट, मास्टर कैसेट एवं डी.भी.डी. आदि की शीघ्र आपूर्त्ति हेतु निगोशिएसन किया जा सकता है ।

13. चयन किये गये संस्थान / प्रतिष्ठान / फिल्म निर्माता का कार्य संतोषप्रद रहने पर आगे कार्य विस्तार पर विचार किया जा सकता है ।

14. संपूर्ण कार्यवाहियों की वीडियो रिकॉर्डिंग का कार्य संपादन हेतु प्रथमतः चार उच्च गुणवत्ता वाला वीडियो कैमरा स्थापित करने की आवश्यकता होगी । इसके अतिरिक्त आकस्मिक अवस्था में निर्बाध गति से छायांकन प्रक्रिया को जारी रखने की व्यवस्था भी करनी होगी ।

15. दूरदर्शन सहित विभिन्न प्राईवेट चैनलों द्वारा सीधा प्रसारण करने के साथ सभा सचिवालय के महत्वपूर्ण स्थान पर रखे गये विभिन्न टेलिविजन सेटों तथा सदन में माननीय अध्यक्ष के आसन तथा सचिव के आसन के सामने रखे सात इंच के स्क्रीन में भी संपूर्ण कार्यवाहियों के लाईव सिग्नल देकर प्रसारण की व्यवस्था करनी होगी ।

16. सदन की संपूर्ण कार्यवाही के प्रतिदिन निर्बाध वेबकास्टिंग में सहयोग करना होगा ।

17. चयनित फर्म को प्रत्येक दिन के संपूर्ण कार्यवाही का विभिन्न कैमरों से तैयार वीडियो रिकॉर्डिंग का मिक्सिंग / एडिटिंग कर एक समेकित वीडियो कैसेट/डी.भी.डी तैयार कर उपलब्ध कराना होगा ।

18. वित्तीय निविदा में छायांकित कार्यवाही की डी.भी.डी. की अतिरिक्त प्रतिलिपि के लिए कभर के साथ प्रति डी.भी.डी. का दर अंकित करना आवश्यक होगा ।

19. सदन की कार्यवाही का छायांकन एवं अभिलेखन का संपादित मास्टर कैसेट /डी.भी.डी. तैयार करने के क्रम में चयनित निविदादाता की यह जिम्मेवारी होगी कि वह सदन की कार्यवाही के दौरान बहस में हिस्सा ले रहे माननीय मंत्रियों या माननीय सदस्यों या फिर आसन पर विराजमान महानुभावों के नामों का ग्राफिक्स समय-समय पर छायांकन में प्रविष्ट करे, ताकि मूल मास्टर कैसेट्स, विडियो मिक्सिंग के बाद तैयार मास्टर कैसेट्स और संपादित कैसेट्स / डी.भी.डी. में कार्यवाही में भाग लेने वाले व्यक्तियों की पहचान आसानी से हो सके ।

20. प्रसारण हेतु तैयार फॉर्मेट, रिकॉर्डिंग, सीधा प्रसारण या अन्य चैनलों के माध्यम से प्रसारण में किसी प्रकार की त्रुटि की जिम्मेवारी चयनित निविदादाता की होगी और यदि वह त्रुटि नजरअंदाज करने योग्य नहीं

हो तो बिना पूर्व सूचना के किसी भी क्षण चयनित निविदादाता का एकरारनामा रद्द करते हुए अन्य संस्था / फर्म से सभा सचिवालय कार्य संपन्न करा सकता है ।

21. सदन की कार्यवाही का रिकॉर्डिंग किये गये मास्टर कैसेट या उससे तैयार छायांकन के किसी फार्मेट को सभा सचिवालय के सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बिना चयनित निविदादाता बाहर नहीं ले जा सकेगा तथा उसे इसकी गोपनीयता को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए उसकी किसी भी रूप में प्रतिलिपि किसी अन्य व्यक्ति / संस्था या इलेक्ट्रॉनिक चैनल या अन्य मीडिया को हस्तांतरित नहीं करने की जिम्मेवारी भी चयनित निविदादाता की होगी । इन शर्त्तों के उल्लंघन होने पर चयनित निविदादाता के एकरारनामा को रद्द करते हुए उसके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सभा सचिवालय को होगा ।

22. भिन्न-भिन्न कैमरों से की गयी वीडियो रिकॉर्डिंग का शूटेड कैसेट्स, डी.भी.डी. एवं वीडियो मिक्सिंग/एडिटिंग से तैयार सभी कैसेट्स डी.भी.डी. वगैरह सभा सचिवालय की सम्पत्ति होगी और कार्य संपन्न होने के तुरंत बार इसे सभा सचिवालय में जमा कर देना होगा ।

23. सभा सचिवालय चयनित फर्म को स्थान उपलब्ध करायेगी । तकनीकी उपकरण और उपयोग में लाये जाने वाले अपने सामानों की व्यवस्था एवं इसे सभा सचिवालय लाने एवं ले जाने की व्यवस्था चयनित फर्म को स्वयं करना होगा तथा इसके लिए अलग से कोई शुल्क देय नहीं होगा ।

24. चयनित निविदादाता को वर्क ऑर्डर में आवंटित कार्यावधि के लिए अनुमानित आकलित राशि का पाँच प्रतिशत जमानत की राशि के रूप में सभा सचिवालय के रोकड़ शाखा में जमा करना होगा तथा बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा निर्धारित शर्त्तों के अनुरूप अंके 1000/रू० (एक हजार रूपये) के गैर न्यायिक मुद्रांक पत्र (नॉन ज्यूडिसियल स्टांप पेपर) पर सभा सचिवालय के साथ एकरारनामा करना होगा ।

25. कार्य की प्रकृति एवं स्वरूप की विस्तृत जानकारी के लिए स्थल का निरीक्षण अथवा निविदा के अन्य शर्त्तों के संबंध में सभा सचिवालय के जनसंपर्क शाखा से किसी कार्यावधि में संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।

26. निविदादाता को निविदा की सभी शर्त्तों से पूर्णरूपेण सहमति से संबंधित प्रमाण पत्र अपने हस्ताक्षर, फर्म के मुहर, स्थान एवं दिनांक सहित तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है ।

27. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा तथा बिना कारण बताये किसी निविदा को रद्द / अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार सभा सचिवालय के पास सुरक्षित रहेगा ।

2/6/16

(आर० एस० राय)

सचिव

बिहार विधान सभा, पटना ।